तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/X/24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी की ओर से वाद पत्र बहस की गई। जो सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी के खातेदारी की आराजी खाता सं0 62 खसरा नं0 43 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा में स्थित है। वादी का नाम उक्त जमाबंदी में त्रुटिवश हनुमान प्रसाद के स्थान पर छोटिया दर्ज हो चुका है। वादी के सभी दस्तावेज में नाम हनुमान प्रसाद है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का नाम छोटिया के स्थान पर हनुमान प्रसाद अंकित करने का आदेश प्रदान करें। वादी के वाद पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार लाड़पुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वर्णन किया है कि वादी के पिता कई वर्षों पूर्व फौत हो चूके है तथा फौती नामान्तरण दर्ज करते समय हनुमान प्रसाद का नाम छोटिया दर्ज कर दिया गया जो कि वादी का घर का बोलता नाम है। मुताबिक गवाहान के आधार पर हनुमान प्रसाद एवं छोटिया एक ही व्यक्ति है। उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली एवं पत्रावली में संलग्न तहसील रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं राशन कार्ड की प्रति एवं तहसील रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि हनुमान प्रसाद एवं छोटिया एक ही व्यक्ति है। उपरोक्तानुसार बाद अवलोकन तहसील रिपोर्ट वाद पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जात है कि ग्राम सोगरिया तह0 लाडपुरा में स्थित आराजी खसरा नं0 43 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में छोटिया पुत्र गोपाल के स्थान पर हनुमान प्रसाद उर्फ छोटिया पुत्र गोपाल दर्ज किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। उक्त निर्णय आज दिनांक 16/X/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुभार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा 16/X/24 उपखण्ड अधिकारी को...	